रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1887] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 1887] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISATHA 3, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.आ. 2082(अ).— भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया पाइप लाइन (जे एच पी एल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अत: अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदीशपुर–हल्दिया एवं स्पर पाइप लाइन परियोजना
एफ0 सी॰ आई॰ गोरखपुर एवं स्पर पाइप लाइन
री–रूट भूमि अनुसूची

राज्य–उत्तर प्रदेश

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेअर–आर–वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5		
जौनपुर	केराकत	चौकिया	06	00	00	80
			07	00	04	84
			08	00	03	90
			09	00	00	60
			18	00	01	20
			19	00	00	80
			22	00	04	80
			23	00	00	80
			24	00	02	80
			25	00	10	20
			26	00	00	80
			27	00	00	30
			28	00	00	70
			49	00	00	16
			50	00	01	28
जौनपुर	केराकत	गंगौली	682	00	02	40
			542	00	05	20
			543	00	04	50
			545	00	02	10
			547	00	00	05
			544	00	12	80
			514	00	00	40
			510	00	00	32
			511	00	06	84
			509	00	00	04
			512	00	08	40
			494	00	11	20
			506	00	00	40

[फा.सं. एल–14014/55/2018–जी.पी.–II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21th May, 2018

S.O. 2082(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia pipeline (JHPL) & spur pipeline, in the State of Uttar Pradesh, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Uttar Pradesh, GAIL (India) Limited.

JAGDISHPUR-HALDIA AND SPUR PIPELINE PROJECT

FCI-GORAKHPUR & SPUR PIPELINE

Re-route Land Schedule

State : Uttar Pradesh

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Jaunpur	**Kerakat**	**Chaukiya**	06	00	00	80
			07	00	04	84
			08	00	03	90
			09	00	00	60
			18	00	01	20
			19	00	00	80
			22	00	04	80
			23	00	00	80
			24	00	02	80
			25	00	10	20
			26	00	00	80
			27	00	00	30
			28	00	00	70
			49	00	00	16
			50	00	01	28
Jaunpur	**Kekakat**	**Gangauli**	682	00	02	40
			542	00	05	20
			543	00	04	50
			545	00	02	10
			547	00	00	05
			544	00	12	80
			514	00	00	40
			510	00	00	32
			511	00	06	84
			509	00	00	04
			512	00	08	40
			494	00	11	20
			506	00	00	40

[F.No. L-14014/55/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.28 12:28:02 +05'30'